राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3771/2025

विनोद कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी, रसमी, चितौड़गढ़, जिला चितौड़गढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.08.2025
आदेश की दिनांक : 12.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाखल, जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.05.2019 (अनुलग्नक–2) के द्वारा वर्ष 2019–2020 की रिक्ति के विरूद्ध प्रधानाचार्या के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 07.11.2019 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को 24.05.2019 से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत होने पर संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण का लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.11.2019 (अनुलग्नक–3) के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 07.11.2019 से लाभ दिया गया। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 28.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर 24.05.2019 से सेवा अवधि की गणना करते हुए एजीआई और अन्य सेवा लाभों सहित संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस दिया गया, लेकिन आज तक विधिक नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मांडल, जिला भीलवाड़ा के अधिन आदेश दिनांक 18.02.2020 (अनुलग्नक–4) के द्वारा डीपीसी वर्ष 2019–20 के तहत समान स्थिति वाले कार्मिकों को भी प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया था और प्रधानाचार्य अर्थात् श्रीमती सुमन के साथ–साथ श्री सम्पत लाल को आदेश के तहत कार्यभार ग्रहण करने की

तिथि के बजाय पदोन्नति की तिथि अर्थात 24.05.2019 से लाभ प्रदान किए गए थे। लेकिन अपीलार्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लाभ प्रदान किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14336/2025 प्रियंका परसोया बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 (अनुलग्नक–6) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.11.2019 में संशोधन कर अपीलार्थी का वेतन निर्धारण पदोन्नति पद पर चयन की तिथि 24.05.2019 से दिया जावे एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य